



2026:AHC:58509

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 10557 वर्ष 2026

श्रीमती प्रीती चौहान एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अमित कुमार चौहान

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य प्रत्यर्थियों के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने परमादेश की रिट जारी करने की प्रार्थना की है, जिसमें प्रत्यर्थियों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया जाए, और साथ ही उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया जाए।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता वयस्क हैं और उन्होंने 09.03.2026 को रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार अपना विवाह संपन्न किया है। उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया है कि यह उनका पहला विवाह है। इसके अतिरिक्त यह भी दावा किया गया है कि इस संबंध में उनके विरुद्ध कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और उनका विवाह उनकी स्वतंत्र सहमति से, बिना किसी पक्ष पर किसी भी प्रकार के दबाव के

संपन्न हुआ था। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि इस प्रकार विवाह करने के कारण प्रत्यर्थियों द्वारा याचिकाकर्ताओं को धमकाया और परेशान किया जा रहा है।

4. **लता सिंह बनाम उ. प्र. राज्य 2006 क्रि.एल.जे. 3309** के मामले में, अंतर-जातीय विवाह करने वाले लड़के और लड़की के माता-पिता द्वारा किए गए उत्पीड़न से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश के प्रशासन/पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं:-

“यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है, तो वह अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसी अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक शादी को मंजूरी नहीं देते हैं, तो वे ज़्यादा से ज़्यादा यह कर सकते हैं कि वे अपने बेटे या बेटी से सामाजिक संबंध तोड़ लें, लेकिन वे न तो धमकी दे सकते हैं, न ही हिंसा कर सकते हैं या हिंसा के लिए उकसा सकते हैं, और न ही ऐसे व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं जिसने ऐसी अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक शादी की हो। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि पूरे देश में प्रशासन/पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई लड़का या लड़की, जो बालिग है, किसी महिला या पुरुष, जो बालिग है, के साथ अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक शादी करता है, तो उस जोड़े को कोई भी परेशान न करे, और न ही उन्हें किसी तरह की धमकी दी जाए या उनके साथ हिंसा की जाए। साथ ही, जो कोई भी ऐसी धमकी देता है, परेशान करता है, या हिंसा करता है, चाहे वह खुद करे या किसी के उकसाने पर, उसके खिलाफ पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करके उसे जवाबदेह ठहराया जाए, और विधि के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाए।”

5. **भगवान दास बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली, (2011) 6 एससीसी 396** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तर 28 और 29 में निम्नानुसार निर्णय दिया:-

“28. अक्सर प्यार में पड़ने वाले युवा जोड़ों को 'कंगारू न्यायालयों' के गुस्से से बचने के लिए पुलिस लाइनों या सुरक्षा गृहों में शरण लेनी पड़ती है। हमने 'लता सिंह' मामले में यह स्पष्ट किया है कि “सम्मान”

के नाम पर हत्या में कुछ भी 'सम्मानजनक' नहीं है, ये तो बस सामंती सोच वाले कट्टर लोगों द्वारा की गई बर्बर और क्रूर हत्याएँ हैं। हमारी राय में, सम्मान के नाम पर हत्या, चाहे उसका कारण कुछ भी हो, उन दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आती है, जिनके लिए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम इन बर्बर और सामंती कुप्रथाओं को पूरी तरह से खत्म कर दें, जो हमारे राष्ट्र के माथे पर एक कलंक हैं। इस तरह के घोर और असभ्य व्यवहार को रोकने के लिए यह कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। जो भी लोग "सम्मान" के नाम पर हत्या को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं, उन्हें यह अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि उनका इंतज़ार फाँसी का फंदा कर रहा है।

29. इस निर्णय की एक प्रतिलिपि सभी उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार को भेजी जाए, जो इसे न्यायालय के सभी न्यायाधीशों तक पहुँचाएँगे। उच्च न्यायालय के महारजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार इसकी प्रतिलिपि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को भी भेजेंगे। इस निर्णय की प्रतिलिपि देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों/गृह सचिवों/पुलिस महानिदेशकों को भी भेजी जाएगी। गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक इसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी एसएसपी/एसपी को जानकारी के लिए भेजेंगे।

6. विद्वान शासकीय अधिवक्ता का यह तर्क है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणियों और जारी किए गए निर्देशों को उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया जा रहा है, और इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा कोई और निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि याचिकाकर्ताओं को केवल यह आशंका है कि निजी प्रत्यर्थी हिंसा का कोई कृत्य कर सकते हैं और/या याचिकाकर्ताओं को परेशान कर सकते हैं।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले के गुण-दोष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को एक विवाहित जोड़े के रूप में साथ रहने की पूरी स्वतंत्रता है और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी।



यदि याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है, तो याचिकाकर्ता इस आदेश की एक प्रति के साथ संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक से संपर्क कर सकते हैं; वे इस मामले की जांच करेंगे और याचिकाकर्ताओं को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे। पुलिस अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान या अपमानित न किया जाए, यदि उसने याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की है।

8. याचिकाकर्ताओं को यह भी निर्देश दिया जाता है कि 09.03.2026 को हुई शादी का पंजीकरण, उ.प्र. विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, आज से दो महीने के भीतर करवा लिया जाए; और यदि याचिकाकर्ता निर्धारित समय के भीतर शादी का पंजीकरण करवाने में विफल रहते हैं, तो यहाँ दी गई सुरक्षा समाप्त हो जाएगी।

9. इस चरण पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह बताया कि याचिकाकर्ताओं ने अपने विवाह के पंजीकरण के लिए पहले ही आवेदन कर दिया था।

10. हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए विवाह की वैधता और/या उनके विवाह प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता, अथवा याचिकाकर्ताओं की सही आयु के संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्ताओं को विधि के अनुसार शुरू की गई किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही से बचाने के लिए पारित नहीं किया गया है।

11. चूँकि इस याचिका का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही किया जा रहा है, इसलिए इससे व्यथित कोई भी व्यक्ति इसे वापस लेने के लिए आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है, बशर्ते कि यह आदेश तथ्यों को दबाकर या छिपाकर, अथवा झूठे बयानों के आधार पर प्राप्त किया गया हो।

12. तथापि, यह आदेश पुलिस अधिकारियों के समक्ष लंबित किसी भी जांच के आड़े नहीं आएगा।

13. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

मार्च 20, 2026

नितेंद्र